रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 287] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 1974/कार्तिक 20, 1896

No. 287] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 1974/KARTIKA, 20, 1896

Secretariat Library

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th November 1974

G.S.R. 461(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 2, read with section 27, of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), No. G.S.R.-333(E), dated the 27th July, 1974, save as respects things done or omitted to be done under the said notification.

[No. F. 1(4)-CD/74]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 461 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) की धारा 27 के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (ञ)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों, तथा उसे इस निमित्त सशक्त बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों, का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 333 (ई), तारीख 27 जुलाई, 1974 को, सिवाय उन बातों के जो उस अधिसूचना के अधीन की गई हों या जिनका किए जाने से लोप किया गया हो, एतद्द्वारा विखण्डित करती है।

[सं० एफ० 1(4)—सी० डी०/74]

ORDER

New Delhi, the 8th November 1974

G.S.R. 462(E).—In exercise of the powers conferred by section 26, read with section 27, of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby rescinds the orders of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Nos. G.S.R. 335(E), dated the 27th July, 1974, and G.S.R. 343(E), dated the 31st July, 1974, save as respects things done or omitted to be done under either of the said notifications.

[No. F. 1(4)-CD/74]

JOHN INNOCENT, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 462(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) की धारा 27 के साथ पठित धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उसे इस निमित्त सशक्त बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों, का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आदेश संख्याओं सा० का० नि० 335 (ई), तारीख 27 जुलाई, 1974 तथा सा० का० नि० 343 (ई), तारीख 31 जुलाई, 1974 को, सिवाय उन बातों के जो उन आदेशों में से किसी के अधीन की गई हों या जिनका किए जाने से लोप किया गया हो, एतद्द्वारा विखण्डित करती है।

[सं० एफ० 1(4)-सी० डी०/74]

जॉन इनोसंट, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974